



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236372
CG-DL-E-07062022-236372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]
No. 399]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISHTHA 17, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2022

सा.का.नि. 420(अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित, अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 का प्रारूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा0 का0 नि0 150(अ), तारीख 23 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां, जनता को 23 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है; अतः, अब, केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (छ) से खंड (ठ) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2), धारा 10 की उपधारा (2), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (1), धारा 12 की उपधारा (3) और धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उसके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021का 4) अभिप्रेत है ;

(ख) “विद्यमान जलयान” या “विद्यमान अंतर्देशीय जलयान” से कोई ऐसा अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है, जो कोई ऐसा नया अंतर्देशीय जलयान नहीं है कि वह नया अंतर्देशीय जलयान की परिभाषा के भीतर आता है ;

(ग) “नया अंतर्देशीय जलयान” से कोई ऐसा अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है, जिसकी कील रखी गई है या जो नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को या उसके पश्चात् निर्माण के समान चरण में है; और

(घ) “प्रमुख संपरिवर्तन या उपांतरण” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

क) जलयान के सकल टन भार में दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन ;

ख) जलयान के प्रकार का परिवर्तन ; और

ग) प्रणोदन प्रणाली या मुख्य इंजनों या ईंधन के प्रकार में परिवर्तन।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो उसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में हैं।

3. अंतर्देशीय जल क्षेत्र की घोषणा—परिक्षेत्र.— (1) राज्य सरकार, अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई मानदंड पर आधारित अंतर्देशीय जल क्षेत्रों को परिक्षेत्र 1, परिक्षेत्र 2 और परिक्षेत्र 3 में वर्गीकृत कर सकेगी, जैसा की नीचे दिया गया है—

(i) परिक्षेत्र 1 से एक ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं है ;

(ii) परिक्षेत्र 2 से एक ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है ;

(iii) परिक्षेत्र 3 से एक ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां अधिकतम महत्वपूर्ण लहर ऊंचाई 0.6 मीटर से अधिक नहीं है।

(2) ऐसा जलयान, जो प्रचालन के लिए आशयित है अत्यधिक दुर्भर परिक्षेत्र में सेवा के लिए डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित होगा।

4. सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र.— (1) सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं0 1 में होगा और उसके सुसंगत ब्यौरे इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं0 7 में दिए जाएंगे।

(2) सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि अंतर्देशीय जलयान परिचालन के किसी विशेष क्षेत्र के लिए उपयुक्त है।

(3) एक यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान किसी भी यात्रा पर आगे नहीं बढ़ेगा या किसी सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सेवा के प्रकार और परिचालन के लिए आशयित परिक्षेत्र के लिए सर्वेक्षण का वैध प्रमाणपत्र न हो।

(4) सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र इन नियमों में विनिर्दिष्ट आवधिक सर्वेक्षणों को पूरा करने सहित अभिहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तों के अध्याधीन 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा।

(5) अभिहित प्राधिकारी के जलयान के सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र समाप्त होने और यथासंभव शीघ्र नवीनीकरण किए जाने की तारीख के बीच के अंतराल के दौरान यांत्रिक रूप से चालित जलयान को यात्रा पर आगे बढ़ने की अनुमति दे सकेगा।

5. रिकार्ड किए जाने वाले डिजाइन, निर्माण, उपांतरण या परिवर्तन के अनुपालन का प्रमाणन.— (1) अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्देशीय जलयान, अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2022 के अनुपालन में हैं।

(2) अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्देशीय जलयान, जो अधिनियम के अधिनियमिति से पहले अंतर्देशीय जल में निर्मित और नियोजित हैं, अधिनियम के अधिनियमिति से पहले अभिभावी थे, विद्यमान विधियों और मानकों के अनुपालन में हैं :

परंतु अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यमान जलयान, जो बड़े परिवर्तन या उपांतरण से गुजरे हैं, अंतर्देशीय जलयान (डिजाइन और निर्माण) नियम, 2022 का अनुपालन करेंगे, जहां तक इस अभिहित प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त और साध्य माना जाता है।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, संबंधित राज्य सरकार के अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, यथास्थिति, निर्माण, डिजाइन, उपांतरण या परिवर्तन, अधिनियम के अधीन जारी किए गए सर्वेक्षण प्रमाणपत्र में और इन नियमों के अनुसार अनुपालन के संबंध में प्रमाणन को अभिलिखित करेंगे।

(4) एक जलयान का सर्वेक्षण उस राज्य के अभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षक द्वारा किया जा सकेगा, जिसमें वह सर्वेक्षण के समय परिचालन कर रहा है, हालांकि इसे किसी अन्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा।

6. अंतर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण.- इन नियमों के प्रयोजन के लिए, अंतर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

(अ) जो जलयान श्रेणी-क में आते हैं, वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के डेकनुमा जलयान हैं-

(क) शिकारा से भिन्न जलयान, जो लंबाई में 24 मीटर से अधिक हैं और शिकारा, जो लंबाई में 30 मीटर से अधिक हैं;

(ख) जलयान, जो 50 से अधिक यात्री ले जाते हैं;

(ग) खींच कर ले जाने के लिए सज्जित सभी जलयान, जिनकी जहाजी खूंट की खींचने की क्षमता 10 टन से अधिक है;

(घ) कार्गो के रूप में थोक में पेट्रोलियम माल, रसायन या तरलीकृत गैसों को वहन करने के लिए डिजाइन और निर्माण किए गए जलयान;

(ङ.) अधिनियम में यथा परिभाषित खतरनाक माल का वहन करने वाले जलयान; और

(च) 300 सकल टन भार और उससे अधिक के जलयान।

(ख) श्रेणी 'ख' के जलयान, जो श्रेणी-क या श्रेणी-ग के अधीन नहीं आते हैं।

(ग) श्रेणी 'ग' के जलयान, जो लंबाई में 10 मीटर से कम हैं।

7. सर्वेक्षण सिफारिशों पर कार्रवाई.- (1) जब अभिहित प्राधिकारी या निर्धारित करता है कि जलयान या उसके उपस्कर की स्थिति प्रमाणपत्र की विशिष्टियों के साथ पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती है या जलयान या उस पर सवार व्यक्तियों को खतरे में डाले बिना जलयान सेवा में रखने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यह सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

(2) अभिहित प्राधिकारी, जलयान को सेवा में रखने की अनुमति दे सकता है, परंतु सुधारात्मक कार्रवाइयां उपधारा (1) के अधीन किए गए सर्वेक्षण के दौरान पहचान की गई कमियों पर की गई हैं और नियत समय के भीतर स्वामी या प्रबंधक द्वारा सर्वेक्षण के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

8. सर्वेक्षण के प्रकार.- (1) संरचना, मशीनें, जीवन रक्षक उपकरण, रेडियो संस्थापन, अग्निशमन और अन्य उपस्कर, नीचे विनिर्दिष्ट सर्वेक्षणों के अधीन होंगे—

(क) जलयान को सेवा में रखने से पहले एक प्रारंभिक सर्वेक्षण;

(ख) सर्वेक्षण के अंतर्देशीय जलयान प्रमाणपत्र की प्रत्येक वर्षगांठ की तारीख से पूर्व या पश्चात् तीन महीने के भीतर एक वार्षिक सर्वेक्षण;

(ग) अंतर्देशीय जलयान सुरक्षा प्रमाणपत्र की वैधता पांच वर्ष की अवधि के दौरान किए गए जलयान के तल के बाहर के कम से कम दो निरीक्षण;

परंतु ऐसे किन्हीं दो निरीक्षणों के बीच का अंतराल छत्तीस मास के अधिक का नहीं होगा;

(घ) नवीनीकरण सर्वेक्षण पांच वर्ष से अधिक के अंतराल पर न हो ; और

(ड.) एक अतिरिक्त सर्वेक्षण, जो या तो सामान्य या परिस्थितियों के अनुसार आंशिक एक निरीक्षण है, इसे जांच के परिणामस्वरूप मरम्मत के पश्चात् या जब भी कोई महत्वपूर्ण मरम्मत या नवीनीकरण किया जाता है, किया जाना है।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, प्रारंभिक सर्वेक्षण से इस अधिनियम के अधीन जलयान को सेवा में रखने से पूर्व सर्वेक्षक द्वारा की गई घोषणा अभिप्रेत है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षणों में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) इस उपनियम के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में आने वाले से भिन्न संरचना, मशीनरी और उपस्कर ;

(ख) अग्नि सुरक्षा प्रणाली और उपकरण, जीवन रक्षक उपकरण और व्यवस्थाएं, जलयान जनित नौवहन उपकरण, यदि लागू हो तो पायलटों के लिए आरोहन के साधन और अन्य उपकरण ;

(ग) सुरक्षा उपकरण योजनाएं, समुद्री प्रकाशन, रोशनी, आकार, ध्वनि संकेत और आपदा संकेत बनाने के साधन; और

(घ) जलयान के रेडियो इंस्टालेशन।

9. प्रारंभिक सर्वेक्षण.- (1) प्रारंभिक सर्वेक्षण में निम्नलिखित शामिल होंगे—

(क) पूर्ण निरीक्षण, और जहां आवश्यक हो, उपनियम (2) में निर्दिष्ट मदों का परीक्षण, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संरचना, बायलर और अन्य दबाव वाहिकाओं की व्यवस्था, सामग्री, स्कैनलिंग और कारीगरी, उनके उपकरण, स्टीयरिंगगियर और संबंधित नियंत्रण प्रणाली, विद्युत स्थापनाओं व अन्य उपकरणों सहित मुख्य और सहायक मशीनरी प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं, और संतोषजनक स्थिति में हैं और उस सेवा के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए जलयान आशयित है ; और

(ख) निम्नलिखित मदों का सत्यापन—

(i) जलयान पर फ्रीबोर्ड के निशान और ड्राफ्ट के निशासन का सत्यापन;

(ii) जलयान के अनुमोदित टन भार की संगणना का सत्यापन;

(iii) अनुमोदित सुरक्षा उपस्कर योजना; और

(iv) जलयान के अनुमोदित स्थिरता ब्यौरे और लदान नियमावली (यदि लागू हो)।

(2) विद्यमान जलयानों के लिए, जलयान के तल के बाहर इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व बारह मास के भीतर का निरीक्षण किया जाएगा।

10. वार्षिक सर्वेक्षण.- (1) जलयान के वार्षिक सर्वेक्षण में यह पुष्टि करने के लिए कि वे संतोषजनक स्थिति में हैं और उस सेवा के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए जलयान आशयित है, उप-नियम(2) से नियम 9 में निर्दिष्ट वस्तुओं का एक सामान्य निरीक्षण शामिल होगा।

(2) वार्षिक सर्वेक्षण के समय सर्वेक्षक निम्नलिखित की कुशल स्थिति के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा:

(क) फ्रीबोर्ड और सुपरस्ट्रक्चर डेक पर हैचवे, वेंटिलेटर और एयर पाइप कोमिंग, एक्सपोज्ड केसिंग, स्काईलाइट्स, डेकहाउस और कंपेनियनवेज, सुपरस्ट्रक्चर बल्कहेड्स, साइड स्कटल्स और डेडलाइट्स, सभी बंद उपकरणों के साथ।

(ख) स्टील हैच कवर की मौसम की जकड़न सुनिश्चित करने के साधन।

(ग) वाल्व के साथ स्कूपर और सैनिटरी डिस्चार्ज;

(घ) गार्ड रेल और बुलवार्क;

(ड) बंदरगाहों, गैंगवे और जीवन रेखा को मुक्त करना;

(च) फ्रीबोर्ड के निशान;

(छ) मशीनें और स्टीयरिंग यंत्रों का सामान्य परीक्षण;

(ज) वेंट पाइपिंग।

(झ) अग्निशमन उपकरण

(ञ) जीवन रक्षक उपकरण

11. नवीकरण सर्वेक्षणों के बीच मध्यवर्ती डॉकिंग सर्वेक्षण.- (1) समुद्री बंदरगाहों और 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य जलयानों में चलने वाले जलयानों की जांच ड्राईडॉक या स्लिपवे में की जाएगी:

परन्तु, 20 वर्ष से कम आयु के जलयानों और समुद्री बंदरगाहों में परिचालन के लिए जल सर्वेक्षण की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि संतोषजनक आंतरिक जांच के अधीन 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के जलयानों और बंदरगाहों में परिचालन नहीं करने वाले जलयानों के लिए इस आवश्यकता से छूट पर भी विचार किया जा सकता है।

12. नवीकरण सर्वेक्षण.- (1) नवीकरण सर्वेक्षण में नियम 9 के उप-नियम (2) में उल्लिखित संरचना, मशीनों और उपस्कर का परीक्षण, जब आवश्यक हो, निरीक्षण के साथ होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है, और यह कि वे संतोषजनक स्थिति में हैं और उस सेवा के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए जलयान आशयित है।

(2) नवीकरण सर्वेक्षण में एक जांच भी शामिल होगी कि सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र से संबंधित आवश्यकताओं में निर्दिष्ट सभी प्रमाणपत्र, रिकॉर्ड बुक, परिचालन नियमावली और अन्य निर्देश और दस्तावेज जलयान पर हैं।

(3) नवीकरण सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए, नवीकरण सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में ड्राईडॉक या स्लिपवे में पानी के नीचे के हिस्सों की जांच की जाएगी।

(4) इसके अतिरिक्त, प्रणोदकतख्ते को हटाकर निरीक्षण किया जाएगा, और सर्वेक्षक नवीकरण सर्वेक्षण द्वारा संतुष्टि होगा कि प्रोपेलर शाफ्ट सहित स्टर्न गियर अच्छी स्थिति में है और कवर की गई पांच वर्ष की अवधि के लिए सेवा योग्य स्थिति में रहेगा।

(5) अन्य प्रणोदन प्रकारों के मामले में, सर्वेक्षक यह आकलन करेगा कि रखरखाव या सर्विसिंग की आवश्यकता है या नहीं, किसी भी मामले में निर्माता की सलाह का पालन किया जाएगा।

(6) प्रकाश विस्थापन और गुरुत्वाकर्षण के अनुदैर्घ्य केंद्र में किसी भी परिवर्तन को सत्यापित करने के लिए सभी यात्री जलयानों को नवीकरण सर्वेक्षण पर हल्के सर्वेक्षण के अधीन किया जाएगा और जब भी स्वीकृत स्थिरता जानकारी की तुलना में, प्रकाश विस्थापन से 2 प्रतिशत से अधिक विचलन या गुरुत्वाकर्षण के अनुदैर्घ्य केंद्र से 1 प्रतिशत से अधिक विचलन पाया जाता है, जलयान को फिर से झुकाया जाना चाहिए।

13. अतिरिक्त सर्वेक्षण.- (1) जब भी किसी जलयान के साथ कोई दुर्घटना होती है या कोई दोष पाया जाता है जो जलयान की सुरक्षा या अखंडता या उसके उपकरण की दक्षता या पूर्णता को प्रभावित करता है, तो मास्टर या स्वामी को यथाशीघ्र अभिहित प्राधिकारी को एक सूचना देनी चाहिए।

(2) अभिहित प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए एक जांच शुरू करनी चाहिए कि क्या विशेष प्रमाणपत्र पर लागू नियमों द्वारा एक सर्वेक्षण आवश्यक है।

(3) यह अतिरिक्त सर्वेक्षण, जो परिस्थितियों के अनुसार सामान्य या आंशिक हो सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि मरम्मत और कोई नवीकरण प्रभावी ढंग से किया गया है और यह कि जलयान और उसके उपस्कर उस सेवा के लिए उपयुक्त हैं जिसके लिए जलयान आशयित है।

14. सर्वेक्षण के पश्चात् स्थितियों का अनुरक्षण.- (1) प्रत्येक अंतर्देशीय जलयानका स्वामी या मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान और उसके उपस्कर की स्थिति को सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र के उपबंधों के अनुरूप बनाए रखा जाता है ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि जलयान हर तरह से, जलयान बोर्ड पर मौजूद व्यक्तियों या पर्यावरण के लिए खतरे के बिना परिचालित करने के लिए उपयुक्त रहेगा;

(2) जलयान के किसी भी सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात्, अभिहित प्राधिकारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी मान्यता प्राप्त संगठन के अनुमोदन के बिना संरचनात्मक व्यवस्था, मशीनें, उपस्कर और सर्वेक्षण में शामिल अन्य मदों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) जब भी जलयान में कोई दुर्घटना होती है या कोई दोष पाया जाता है, जिसमें से कोई भी जलयान की सुरक्षा या उसके जीवन रक्षक उपकरणों या अन्य उपकरणों की दक्षता या पूर्णता को प्रभावित करता है, तो तत्काल अभिहित प्राधिकारी से अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले एक मान्यता प्राप्त संगठन से एक सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

15. प्रमाणपत्र जारी करना या उनका पृष्ठांकन.- (1) एक प्रारंभिक या नवीकरण सर्वेक्षण के पश्चात्, सर्वेक्षक तत्काल प्ररूप सं. 2 में एक घोषणा आवेदक को जारी करेगा कि एक जलयान सूंगत आवश्यकताओं और इन नियमों और अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करता है।

(2) सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र, यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त प्राधिकारी द्वारा यदि यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम के सभी उपबंधों का उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत की गई घोषणा के संबंध में अनुपालन किया गया है और राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट फीस की भुगतान की प्राप्ति पर प्ररूप सं. 5 या प्ररूप सं. 6 में जारी किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्ररूप सं. 2 में संलग्न उपस्कर और जलयान सूचना के एक रिकॉर्ड द्वारा जुड़ा होगा, जो स्थायी रूप से संलग्न रहेगा।

(4) उपरोक्त उप-नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, वह सर्वेक्षक जिसने सर्वेक्षण किया और उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा जारी की, एक आवेदन के आधार पर प्ररूप 3 पर सर्वेक्षण का एक अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है, जो साठ दिनों से अनाधिक अवधि के लिए वैध होगा या, पृष्ठांकन द्वारा, सर्वेक्षण के प्रचलित प्रमाणपत्र की वैधता को साठ दिनों से अनाधिक अवधि के लिए बढ़ा देगा।

(5) यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान, जिसे उप-नियम (4) के अधीन सर्वेक्षण या पृष्ठांकन का अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया गया है, सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र जारी होने तक समय-समय पर परिपत्रों, आदेशों या निर्देशों के माध्यम से अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी की जा सकने वाली शर्तों के अधीन, यात्रा या सेवा में उपयोग के लिए, अस्थायी रूप से आगे बढ़ सकता है।

16. प्रमाणपत्रों की अवधि और वैधता.—(1) सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र वार्षिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए किए जा रहे पृष्ठांकन के अध्याधीन जिस अवधि के लिए जारी किया जाएगा वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) जब नवीकरण सर्वेक्षण, वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से तीन महीने के भीतर पूरा हो जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष तक वैध होगा।

(3) जब नवीकरण सर्वेक्षण वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि के तीन महीने से अधिक समय के भीतर नहीं पूरा किया जाता है, तो नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक वैध होगा।

(4) जब नवीकरण सर्वेक्षण वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पहले या बाद में तीन मास से अधिक में पूरा होता है, तो नया प्रमाण पत्र नवीकरण सर्वेक्षण के समापन की तारीख से पांच वर्ष से अधिक की तारीख तक वैध नहीं होगा।

(5) जहां नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और वर्तमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से पहले अंतर्देशीय जलयानपर नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता अथवा रखा नहीं जा सकता है, अभिहित प्राधिकारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला एक मान्यता प्राप्त संगठन वर्तमान प्रमाणपत्र की पुष्टि करेगा और इस तरह के एक प्रमाणपत्र को एक अन्य अवधि के लिए वैध माना जाएगा, जो समापन की तारीख से साठ दिनों से अधिक की नहीं होगी।

(6) जहां एक जलयान के प्रमाणपत्र की समय सीमा उस समय समाप्त हो जाती है, जब वह सर्वेक्षण की स्थिति में नहीं है, अभिहित प्राधिकारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि को 3 महीने से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(7) ड्राई-डॉकिंग सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण असाधारण परिस्थितियों के मामले में, राज्य सरकार प्रमाणपत्र को 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए विस्तारित करने पर विचार कर सकती है।

(8) उप-नियम (5) के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में वैध नहीं होगा:

(क) जहां सूसंगत सर्वेक्षण और निरीक्षण इन नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है; या

(ख) जहां प्रमाणपत्र इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार पृष्ठांकित नहीं है; या

(ग) जहां जलयान पंजीकरण से वापस ले लिया गया है।

17. प्रमाणपत्रों के लिए प्ररूप.- प्रमाणपत्र और उपस्कर और जानकारी का रिकॉर्ड इन नियमों के परिशिष्ट में दिए गए प्ररूपों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

18. प्रमाणपत्रों की उपलब्धता.- नियम 16 के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्र जांच के लिए सदैव जलयान पर आसानी से उपलब्ध होंगे।

19. सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र के निबंधन.- इन नियमों के उपबंधों के अधीन जारी किया गया कोई भी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र अधिनियम के अध्याय 4 में निहित सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र की शर्तों के अधीन होगा।

20. नाम का परिवर्तन.—(1) जहां एक ऐसे जलयान के नाम में प्रस्तावित आवश्यक है, जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, जलयान का स्वामी या मास्टर सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र में दर्ज जलयान के नाम में परिवर्तन के लिए उसमें निर्दिष्ट सभी विशिष्टियों के साथ इन नियम से संलग्न प्ररूप सं. 9 में एक आवेदन के साथ प्रमाणपत्र उस प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा, जिसने प्रमाणपत्र जारी किया था।

(2) अभिहित प्राधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, स्वयं या किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से उचित जांच के बाद इस बात की संतुष्टि करेगा कि नया नाम किसी अन्य जलयान को आवंटित नहीं किया गया है और सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र में आवश्यक परिवर्तन का उचित कारण है, जो उसके बाद बदले हुए नाम को जलयान पर तराशने या चिह्नित करने की उचित प्रक्रिया के बाद और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण बही में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा किए गए उचित परिवर्तनों के बाद स्वामी को वापस कर दिया जाएगा।

21. अंतर्देशीय जलयान राज्य निरीक्षण.-(1) किसी अन्य राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के भीतर एक बंदरगाह (अंतर्देशीय बंदरगाह या प्रमुख/लघु तटीय बंदरगाहों) में प्रत्येक जलयान का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण के उद्देश्य के लिए अभिहित अधिकारी या ऐसी सरकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन नियमों के अंतर्गत जारी प्रमाणपत्र वैध हैं और राष्ट्रीय जलमार्ग में होने पर आईडब्ल्यूआई के नियमों के अनुसार आईडब्ल्यूआई के अधिकारियों द्वारा भी किसी जलयान का सर्वेक्षण किया जा सकता है। सामान्य रूप से बंदरगाहों या आईडब्ल्यूआई द्वारा ऐसा कोई निरीक्षण पिछले निरीक्षण की समाप्ति की तिथि के छह महीने के भीतर नहीं किया जाना चाहिए।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र, यदि वैध पाए जाते हैं, उन्हें तब तक स्वीकार किया जाएगा, जब तक कि यह मानने के लिए स्पष्ट आधार न हों कि जलयान या उसके उपस्कर की स्थिति किसी भी प्रमाणपत्र के विवरण के साथ पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती है या जलयान सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है।

(3) जहां प्रमाणपत्र का अवसान हो चुका है या विधिमान्य नहीं रह गया है, वहां उपनियम (1) के अधीन निरीक्षण करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि जलयान पत्तन को नहीं छोड़ेगा जब तक कि अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि जलयान या उस पर उपस्थित व्यक्ति को खतरे के बिना वह अगले पोर्ट ऑफ कॉल पर जा सकता है या उचित मरम्मत यार्ड में जाने के उद्देश्य से बंदरगाह छोड़ सकता है।

22. आधिकारिक लॉग बुक.- (1) जलयान के मास्टर और इंजीनियर या चालक इन नियमों से संलग्न प्ररूप संख्या 8 में एक आधिकारिक लॉग बुक रखेंगे और अपेक्षानुसार उस लॉग बुक में ऐसी प्रविष्टियां करेंगे या करवाएंगे।

(2) एक आधिकारिक लॉग बुक में अंतर्देशीय जलयान के मास्टर, इंजीनियर या चालक या भारसाधक अधिकारी द्वारा एक प्रविष्टि की जाएगी:

(क) उस घटना जिससे वह संबंधित है के पश्चात् यथा शीघ्र; तथा

(ख) घटना और उसके घटित होने की तारीख और समय।

(3) आधिकारिक लॉग बुक में मास्टर या भारसाधक अधिकारी द्वारा एक प्रविष्टि की जाएगी और जलयान का किसी भी प्रकार का निरीक्षण करते हुए उस पर पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा उस पर निरीक्षण के परिणाम और की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, को दर्शित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) विहित फीस के संदाय पर पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा आधिकारिक लॉग बुक की आपूर्ति की जाएगी।

(5) आधिकारिक लॉग बुक पदाभिहित प्राधिकारी की संपत्ति है और इसका उचित रूप से अनुरक्षण किया जाएगा।

(6) लॉग बुक जलयान के वार्षिक सर्वेक्षण के समय सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(7) निरीक्षण करने वाला अधिकारी 'आधिकारिक लॉग बुक' में एक प्रविष्टि करेगा।

23. सर्वेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं.- अंतर्देशीय जलयानों का सर्वेक्षक निम्नलिखित में से कोई भी अर्हता और अनुभव रखेगा:

(क) नौ या यांत्रिक या विद्युत इंजीनियर अथवा नौसेना वास्तुविद् जो भारत सरकार के पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी न्यूनतम प्रथम या द्वितीय श्रेणी मोटर/स्टीम शासन परिवहन (एमओटी) प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य प्रमाणपत्र रखता हो और जिसके पास प्रथम प्रमाणपत्र के पश्चात्समुद्र में जाने वाले नियमित जलयानों या वर्गीकरण सोसाईटियों या जलयान निर्माण यार्डों या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन कंपनियों या राज्य पत्तन विभाग या राज्य समुद्री बोर्ड या पोत परिवहन महानिदेशालय या वाणिज्यिक समुद्री बेडा विभाग में 5 वर्ष का अनुभव हो;

(ख) जो भारत सरकार के पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी द्वारा मास्टर प्रमाणपत्र या समतुल्य अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् 2 वर्ष के नौ-चालन अनुभव या समुद्री प्रशिक्षण/समुद्री सर्वेक्षण में अनुभव के साथ मास्टर जहाजी (विदेश जाने वाले) हो; अथवा

(ग) न्यूनतम 10 वर्षों के नौ-चालन अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष का अनुभव मास्टर या मुख्य इंजीनियर की क्षमता में हो, के साथ पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी द्वारा नौइंजीनियर प्रचालक श्रेणी-III (तटीय निकट जलयात्रा जलयान-मुख्य इंजीनियर अधिकारी) प्रमाणपत्र या मास्टर (तटीय निकट जलयात्रा जलयान) प्रमाण पत्र रखता हो; अथवा

(घ) अंतर्देशीय जलयान ऑन बोर्ड सेवा में न्यूनतम 15 वर्ष के अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष का अनुभव मास्टर या मुख्य इंजीनियर की क्षमता में हो, के साथ मास्टर श्रेणी-I या अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाणपत्र रखता हो; अथवा

(ड) समुद्र में जाने वाले नियमित जलयानों या वर्गीकरण सोसाईटियों या जलयान निर्माण यार्डों या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन कंपनियों या राज्य पत्तन विभाग में 7 वर्ष के अनुभव के साथ नेवल आर्किटेक्चर में बेसिक डिग्री रखता हो; अथवा

(च) समुद्र में जाने वाले नियमित जलयानों या वर्गीकरण सोसाईटियों या जलयान निर्माण यार्डों या प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पोत परिवहन कंपनियों या राज्य पत्तन विभाग में 15 वर्ष के अनुभव के साथ पोत निर्माण में डिप्लोमा रखता हो।

24. मुख्य सर्वेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता.- मुख्य सर्वेक्षक उपरोक्त धारा 23 में यथा उल्लिखित अर्हताएं रखेगा और उसके पास सर्वेक्षक के रूप में 5 वर्ष के अनुभव होना चाहिए।

प्ररूप सं. 1

अंतर्देशीय जलयानका सर्वेक्षण करने के लिए आवेदन का प्ररूप

[नियम 4(1) देखिए]

तारीख:

स्थान:

सेवा में

मुख्य सर्वेक्षक/सर्वेक्षण प्राधिकारी

..... पत्तन पर

अंतर्देशीय जलयान (प्रकार उपदर्शित करें) के सर्वेक्षण के लिए आवेदन

मैं/हम, विधि के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, आपसे नीचे दिए गए अंतर्देशीय जलयान के आरंभिक/कालिक/सूखी डॉकिंग/(जो लागू न हो उसे काट दें) के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए आवेदन करते हैं।

जलयान का विशिष्टियां इस प्रकार है;

1. जलयान का नाम
2. जलयान की आधिकारिक संख्या
3. जलयान के रजिस्ट्रीकरण का पत्तन
4. टन भार (i) रजिस्ट्रीकृत.....
5. जलयान का प्रकार
(यात्री/यात्री-सह-स्थोरा/स्थोरा/टैंकर – प्रकार बताएं, आदि)
6. जलयान की श्रेणी
7. निर्माण का वर्ष
8. निर्माता का नाम और पता
9. हल की विमाएं
10. पिछले सर्वेक्षण का स्थान और तारीख
11. मुख्य नोदन मशीनों का प्रकार और और ब्रिटिश हार्स पावर(बीएचपी)
12. अन्य मशीनों का विवरण
13. स्वामी का टेलीफोन नंबर सहित नाम और पता

लंबाई	चौड़ाई	गहराई	सकल रजिस्ट्रीकृत टनभार	निवल रजिस्ट्रीकृत टनभार

अग्नि शामक मद	संख्या/प्रकार	स्थिति	स्थान
अग्निशमन योजना			
अग्निशमनपंप्स (यांत्रिक)			
अग्निशमन पंप्स (हाथ के लिए)			
वहन योग्य शामक			
स्थायी शामन प्रणाली			
आग बुझाने की बाल्टी			
रेत के बक्से			
हाईड्रैन्ट			
हौज, फिटिंग और नोजल			

उपस्कर	संख्या/प्रकार	स्थिति	स्थान
लंगर			
लंगर केबल/चेन			
विल्ज पंप			
विंच			
क्रेन			
डेरिक			
खिचाई उपस्कर			
रस्सियाँ और तार			
कोलिशन मैट			
गैगवे			
बाड़ (फेंडर)			
नाव का हुक			
प्राथमिक चिकित्सा किट			
दूरबीन			
अपशिष्ट के लिए आधान			
हीविंग लाइन			
कुल्हाड़ी			
मशाल (टार्च)			

नौपरिवहन उपकरण	संख्या/प्रकार	स्थिति	स्थान
नौपरिवहन प्रकाश			

ध्वनिसंकेत			
आकार			
चुम्बकीय कम्पास			
श्रेणीबीएआईएस			
संचार उपकरण			
समुद्री प्रकाशन			

अधिकतम लदान स्थिति में विशिष्ट डेक और स्पेस पर यात्रियों का स्थान						
डेक/स्पेस						
यात्रियों की अधिकतम संख्या						

फ्रीबोर्ड				
न्यूनतम फ्रीबोर्ड				
यात्रियों की संख्या				
माल (कार्गो) (टनमें)				

जीवनरक्षक उपकरण	संख्या	प्रकार/स्थिति	स्थान
जीवनरक्षक जैकेट			
जीवनरक्षक बेड़ा			
आरंभ करने की व्यवस्था			
प्लवनशील उपकरण			
जीवनरक्षक प्लव			
फ्लेयर्स - पैराशूट			
फ्लेयर्स - हैंड-हेल्ड			
धुएँ के संकेत			
जीवनरक्षक बेड़े के उपकरण			
आपातकालीन संचार			

मशीनें/विद्युतीय	ब्रिटिश अश्व शक्ति	प्रकार/स्थिति	स्थान
मुख्य मशीनें			
मुख्य जनरेटर			
आपातकालीन जनरेटर			
मुख्य स्टीयरिंग गियर			
सहायक स्टीयरिंग गियर			
स्विच बोर्ड			
किनारे का संपर्क			
बैटरियां			
सिग्नल लाइट का स्विच			

आवास/सुरक्षा	स्थिति	टिप्पणी
बचाव के मार्ग		
शौचालय		
प्रसाधन		
लंबीनाव		
भोजनालय		
पानी की टंकी		
तापन/शीतन/वातायन		
बर्थ/लॉकर		
आवास तक पहुंच		
प्रकाश व्यवस्था		
मशीनरी गार्ड		
गार्ड रेल		
फिसलन रहित सतहें		
सीढ़ी/कंपेनियनवेज		
शोरविसंवाहन/सुरक्षा/सूचनाएं		
झाग (फोम) प्लवनशीलता सामग्री: घनत्व		

..... को:जारी किया गया:
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)(जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर)

प्रपत्र सं. 3
सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
[नियम 15(4) देखें]

प्रेषक

.....

सेवामें

प्रमाणीकरणप्राधिकारी

.....

महोदय,

विषय: सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

यह आधिकारिक कसंख्या XXXX युक्त जलयान के लिए सर्वेक्षण संदर्भ संख्या XXXXXX तारीख XX/XX/XXXX की घोषणा के संदर्भ में है।

यह अनुरोध किया जाता है कि सर्वेक्षण का एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाए जो उस समय तक वैध रहे जब तक कि सर्वेक्षण का स्थायी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

स्वामी/मास्टर/अधिकृत व्यक्ति का नाम

प्रपत्र सं. 4

सर्वेक्षण का अनंतिम प्रमाणपत्र

[नियम 15(4) देखें]

श्रेणी क/श्रेणी ख/श्रेणी ग जलयान (जो लागू न हो उसे काट दें)

20... की..... तारीख को या उससे पहले समाप्त हो रहा है।

सर्वेक्षण संख्या _____ का अनंतिम प्रमाणपत्र, परिचालन का क्षेत्र _____

जारी करने की तिथि _____ समाप्ति की तिथि _____

सर्वेक्षण का यह अनंतिम प्रमाण पत्र नीचे उल्लिखित विस्तृत अंतर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण के बाद जारी किया गया है।

जलयान का नाम _____ आधिकारिक संख्या _____

रजिस्ट्रीपत्तन _____ रजिस्ट्री संख्या का प्रमाणपत्र _____

सकल टनभार _____ रजिस्ट्रीकृत टनभार _____'

सौंपा गया फ्रीबोर्ड _____ मिमी, जलयान के किनारे पर अंकित लोडिंग अंक: हां/नहीं _____,

मास्टर का नाम _____

मास्टर का सीओसी ग्रेड _____ सं. _____ जारी किए जाने का स्थान _____

इंजीनियर/इंजन चालक का नाम _____

मास्टर का सीओसी ग्रेड _____ सं. _____ जारी किए जाने का स्थान _____

स्वामी या एजेंट का नाम और पता _____

सर्वेक्षण की तारीख _____ किए गए सर्वेक्षण का स्थान _____

परिचालन की सीमा (जैसा लागू हो): -

अंतर्देशीय जलसीमा के भीतर ----- और निकटतम तट से _____ समुद्री मील से आगे नहीं बढ़ेगा।

कार्गो/यात्री क्षमता

अधिकतम अनुज्ञेय कार्गो ढोने की क्षमता: _____ टन और/या _____ चालकदल के साथ _____ यात्री।

जलयान पर ले जाए जाने वाले सुरक्षा उपकरण:

नावों की संख्या आकार और घनक्षमता	उत्प्लावक उपकरण/लाइफ राफ्ट की संख्या	जीवन रक्षक प्लाव और जीवनरक्षक जैकेट की संख्या		अग्निशामक यंत्र			लंगरों की संख्या उनके वजन के साथ	लंबाई आकार	
		जीवन रक्षक पेटी	जीवन रक्षक जैकेट	झागप्रकार	सोडाएसिड	सूखा कार्गो चूण		लंगर का तार	हौज

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अंतर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण और उसके संबंध में घोषणा के प्रसारण के संबंध में नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 13(1) के उपबंधों के अंतर्गत जारी किया गया सर्वेक्षण का यह अनंतिम प्रमाणपत्र केवल 20.....की...तारीख तक ही प्रभावी रहेगा।

परीक्षित और रजिस्ट्रीकृत

मुख्य सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित

प्रपत्र सं. 5
सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र – श्रेणी क जलयान
[नियम 15(2) देखें]

सर्वेक्षण संख्या का प्रमाणपत्र _____ परिचालन का क्षेत्र _____
जारी करने की तारीख _____ समाप्ति की तारीख _____
यह सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र नीचे दिए गए विस्तृत अंतर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण के बाद जारी किया गया है।
जलयान का नाम _____ आधिकारिक संख्या _____
रजिस्ट्री पत्तन _____ रजिस्ट्री संख्या का प्रमाणपत्र _____
सकल टनभार _____ रजिस्ट्रीकृत टनभार _____'
सौंपा गया फ्रीबोर्ड _____ मिमी, जलयान के किनारे पर अंकित लोडिंग अंक: हां/नहीं _____,
मास्टर का नाम _____
मास्टर का सीओसी ग्रेड _____ सं. _____ जारी किए जाने का स्थान _____
इंजीनियर/इंजन चालक का नाम _____
मास्टर का सीओसी ग्रेड _____ सं. _____ जारी किए जाने का स्थान _____
स्वामी या एजेंट का नाम और रपता _____

किए गए सर्वेक्षण की तारीख _____ किए गए सर्वेक्षण का स्थान _____

परिचालन की सीमा (जैसा लागू हो): -

अंतर्देशीय जल सीमा के भीतर -----

कार्गो/यात्री क्षमता

अधिकतम अनुज्ञेय कार्गो ढोने की क्षमता: _____ टन और/या _____ चालकदल के साथ _____ यात्री।

जलयान पर ले जाए जाने वाले सुरक्षा उपकरण:

नावों की संख्या आकार और घन क्षमता	उत्प्लावक उपकरण/लाइफ राफ्ट की संख्या	जीवन रक्षक प्लाव और जीवन रक्षक जैकेट की संख्या		अग्निशामक यंत्र			लंगरों की संख्या उनके वजन के साथ	लंबाई आकार	
		जीवन रक्षक प्लाव	जीवन रक्षक जैकेट	झागप्रकार	सोडाएसिड	सूखा कार्गो पाउडर		लंगर कातार	हौज

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अंतर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण और उसके संबंध में घोषणा के प्रसारण के संबंध में नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अंतर्देशीय जलयान के सर्वेक्षण और उसके संबंध में घोषणा के प्रसारण के संबंध में नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

जब तक कि पहले रद्द या निरस्त न किया गया हो, यह प्रमाणपत्र, 20___ की___ तारीख तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षित और रजिस्ट्रीकृत

मुख्य सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित

प्ररूप सं. 7

नए जलयानों या पहली बार सर्वेक्षण किए जाने वाले जलयानों के संबंध में
प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण
[नियम 4(1) देखें]

1. जलयान का नाम (यदि पहले से नाम है)/यार्ड सं. _____

2. स्वामी का नाम और पता

3. जलयान की लंबाई, चौड़ाई और गहराई

4. जलयान का प्रकार।

(यात्री, मालवाहक, माल-सह-यात्रीवाहक, रासायनिकवाहक, तरलवाहक, टग, डंबवार्ज, आदि)

5. पतवार के विवरण

(क) निर्माण का वर्ष

(ख) निर्माता का नाम और पता

(ग) निर्माता का प्रमाणपत्र

(घ) पतवार की सामग्री

(ङ) बल्कहेड्स की संख्या, उनका स्थान और मोटाई

(च) पतवार चढ़ाने की सामग्री और मोटाई

(छ) फ्रेम्स (सामग्री और मोटाई)

(ज) फर्श (सामग्री और मोटाई)

6. इंजनों के प्रणोदन का विवरण

(क) लगाए गए सेटों की संख्या और क्रमांक

(ख) निर्माता का नाम और ब्रांड

(ग) मॉडल संख्या

(घ) निर्माण का वर्ष

(ङ) प्रत्येक के एचपी के साथ इंजन का प्रकार

(च) स्ट्रोक _____ सिलिंडर का व्यास _____

(छ) प्रणोदन शाफ्ट और सामग्री का व्यास

(ज) यंत्रों (गियर) का प्रकार और संख्या

(क) परीक्षण प्रमाण पत्र

7. उपकरण का विवरण

(क) लंगर-पोर्ट, स्टारबोर्ड (प्रत्येक का वजन और सामग्री)

(ख) लंगर-पुर्जे (स्पेयर) (प्रत्येक उपकरण का वजन और सामग्री)

(ग) श्रृंखला (चेन): आकार प्रकार और लंबाई और परीक्षण प्रमाणपत्र (पोर्ट)

(घ) श्रृंखला: आकार प्रकार और लंबाई और परीक्षण प्रमाणपत्र (स्टारबोर्ड)

(ङ) रस्सियाँ- आकार, सामग्री और रस्सियों की संख्या

(च) सर्चलाइट, संख्या, आकार और शक्ति

(ज) जीवनरक्षक प्लाव, स्व-प्रज्वलित रोशनी के साथ उत्प्लावक उपकरण, उत्प्लावक डोरी के साथ संख्या

तारीख	क्रमांक/यात्रासंख्या	लदान/आरोहण बिंदु का नाम	लदान/आरोहण बिंदु से प्रस्थान (यदि यात्री जलयान है, अनुलग्नक के अनुसार यात्रियों की सूची संलग्न/अनुरक्षित है)				उतराई या अवरोहण बिंदु पर आगमन/मूल जलयान का नाम			उतराई/अवरोहण बिंदु से प्रस्थान		स्थित होने के बिंदु पर आगमन		टिप्पणियां
			विवरण	परिमाण	तारीख	समय	स्थान/जलयान का नाम	तारीख	समय	तारीख	समय	तारीख	समय	

नामित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन

सत्यापन अधिकारी का नाम और पदनाम _____

हस्ताक्षर और तारीख _____

लॉग बुक के लिए उपाबंध (यात्रियों का विवरण)						
जलयान का नाम:				आधिकारिक सं.		
क्रम सं.	तारीख	यात्रा सं.	नाम और पता	फोटो पहचान दस्तावेज	फोटो पहचान दस्तावेज सं.	हस्ताक्षर

आधिकारिक लॉग रखने के संबंध में निर्देश।

1. प्रत्येक अंतर्देशीय जलयान में एक आधिकारिक लॉग विहित प्ररूप में रखा जाएगा।
2. आधिकारिक लॉग, मास्टर या स्वामी के विवेक के अनुसार, सामान्य जलयान के लॉग से अलग या एकसाथ रखा जा सकता है ताकि सभी मामलों में आधिकारिक लॉग बुक में रिक्त स्थान को सम्यक रूप से भरा जा सके।
3. इस पुस्तिका को उचित रूप से रखने का महत्व, और सभी प्रविष्टियों को उचित समय पर और कठोरता से सम्यक रूप से तैयार करने का महत्व, बहुत अधिक सख्ती से मास्टर पर नहीं डाला जा सकता है। ऐसा करने की उपेक्षा करने से मास्टर भारी शास्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनके मालिकों को गंभीर क्षति होती है, जबकि उनके कर्मियों के सदस्यों को अपनी सेवाओं का रिकॉर्ड प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने के कारण असुविधा का सामना करना पड़ता है। यह उचित प्रविष्टियों की अनुपस्थिति के कारण जुर्माना या जब्ती को लागू होने से रोकेगा और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी।
4. आधिकारिक लॉग बुक में अधिनियम द्वारा अपेक्षित प्रविष्टि उस घटना के पश्चात् शीघ्रताशीघ्र की जाएगी, जिससे यह संबंधित है, और, यदि यह उस घटना के दिन नहीं की जाती है, तो घटना की तारीख और उसके संबंध में प्रविष्टि दर्शाने के लिए इसे प्रविष्टि और दिनांकित किया जाएगा।
5. आधिकारिक लॉग बुक में प्रत्येक प्रविष्टि पर मास्टर और अधिकारी या कर्मियों के किसी अन्य सदस्य द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और
6. यदि यह चोट या मृत्यु की प्रविष्टि है, तो जलयान पर उपस्थित चिकित्सा अधिकारी, यदि कोई हो, के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और यदि यह कर्मियों के मृत सदस्य के देय वेतन या उसकी संपत्ति की प्रविष्टि है तो इस पर अधिकारी और मास्टर के अलावा कर्मियों के कुछ सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

7. इन नियमों द्वारा उपबंधित रीतिमें आधिकारिक लॉग बुक में की गई प्रत्येक प्रविष्टि साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी।
8. जब भी मास्टर का परिवर्तन होता है, तो यह देखने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि सौंपे गए दस्तावेज़ अद्यतित हैं।
9. प्रविष्टियां तारीख के क्रम में की जानी चाहिए, और कोई भी स्थान रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
10. यदि आधिकारिक लॉग में कोई प्रविष्टि किसी भी तरह से कर्मिदलके किसी सदस्य से संबंधित है, तो आधिकारिक लॉग और सूची में व्यक्ति के नाम के सामने पृष्ठ संख्या दर्ज की जानी चाहिए।

आधिकारिक लॉग बुक में की जाने वाली अपेक्षित प्रविष्टियां

1. यदि अभित्यजन के या बिना छुट्टी के अनुपस्थिति या अनुशासन के विरुद्ध अधिनियम के अर्थ के भीतर कोई अपराध किया जाता है या यदि कोई अवचार का कार्य किया जाता है जिसके लिए अपराधी के समझौते के अनुसार जुर्माना लगना चाहिए और इसका उद्देश्य जुर्माना लागू करना है:

क) अपराधों या कृत्यों की प्रविष्टि आधिकारिक लॉग-बुक में की जाएगी और मास्टर और यह यांत्रिक रूप से चालित जलयान पर किसी भी क्षमता में नियोजित या लगे व्यक्तियों में से एक द्वारा हस्ताक्षरित होगी;

ख) अपराधी को प्रविष्टि की एक प्रति दी जाएगी और उसे स्पष्ट रूप से और श्रव्य रूप से पढ़ा जाएगा और उसके बाद वह इसका ऐसा उत्तर दे सकता है जिसे वह उचित समझता है;

ग) प्रविष्टि की एक प्रति के लिए एक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त प्रविष्टि को इस तरह पढ़ा गया है और यदि अपराधी द्वारा कोई उत्तर दिया गया है, तो उसे भी इसी तरह दर्ज किया जाएगा और पूर्वोक्त रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे;

घ) तत्पश्चात् किसी भी विधिक कार्यवाही में इस धारा द्वारा अपेक्षित प्रविष्टियां, यदि व्यावहारिक हो, प्रस्तुत या प्रमाणित की जाएंगी और ऐसे प्रस्तुतिकरण या साक्ष्य के अभाव में, मामले की सुनवाई करने वाला न्यायालय अपने विवेक से अपराध या अवचार के कार्य का साक्ष्य प्राप्त करने से मना कर सकता है।

2. प्रत्येक मामले में कर्मिदलको भोजन या पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ा हो।
3. प्रत्येक मामले में कर्मिदल के सदस्य को सेवा की उच्चतरश्रेणी में प्रोन्नत किया जाता है, ऐसी प्रोन्नति की तारीख के साथ श्रेणी और वेतन की दर जो कर्मिदलके सदस्य को प्राप्त होनी है।
4. बीमारी के मामलों में, रोगी की प्रगति और उपचार को दर्शाते हुए लगातार प्रविष्टियां (यदि संभव हो तो दैनिक)।
5. कर्मिदलके किसी भी सदस्य की ओर से मत्तता या अवचार का प्रत्येक मामला चाहे मास्टर मामले की जांच करना चाहता हो या नहीं।
6. प्रत्येक महत्वपूर्ण दुर्घटना या जलयान या कार्गो को नुकसान की प्रविष्टि।
7. विधिक न्यायाधिकरण द्वारा उसके कर्मिदल के सदस्य की प्रत्येक दोषसिद्धि और दी गई सजा;
8. उसके कर्मिदल के प्रत्येक सदस्य के कार्य की गुणवत्ता पर रिपोर्ट; या विवरण कि मास्टर इस तरह इंकार के अपने कारणों के विवरण के साथ उस पर राय देने से इंकार करता है।
9. अपने कर्मिदल के किसी सदस्य को होने वाली बीमारी, चोट या आघात के प्रत्येक मामले की प्रकृति और किए गए चिकित्सा उपचार (यदि कोई हो);
10. जलयान पर होने वाली प्रत्येक मृत्यु का मामला और उसका कारण, साथ में ऐसे विशिष्टियां ;
11. शिशु के लिंग के साथ, जलयान पर होने वाले प्रत्येक जन्म की प्रविष्टि, माता-पिता का नाम और ऐसी अन्य विशिष्टियां;
12. कर्मिदलके ऐसे प्रत्येक सदस्य का नाम, जो मृत्यु से भिन्न अन्य कारण से कर्मिदलका सदस्य नहीं रहता है, ऐसा होने के स्थान, समय, रीति और कारण के साथ;

13. यात्रा के दौरान कर्मिंदलके किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके वेतन और उससे की जाने वाली सभी कटौतियों की सकल राशि;
14. यात्रा के दौरान कर्मिंदलके किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसका धन या अन्य संपत्ति;
15. कोई अन्य मामला जिसे आधिकारिक लॉग बुक में प्रविष्टि के लिए आवश्यक समझा जाए।

प्ररूप सं. 9

**सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र पर जलयान के नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन
[नियम 20(1) देखें]**

संदर्भ सं.:

तारीख:

प्रेषक

सेवा में,

अंतर्देशीय जलयानों के मुख्य सर्वेक्षक,

.....

महोदय,

विषय: प्रमाणपत्र पर जलयान के नाम में परिवर्तनकी सर्वेक्षण संख्या:

मैं निवासी अंतर्देशीय जलयान (नाम)
..... आधिकारिक संख्या का स्वामी/मास्टर होने के नाते
..... एतद्वारा अनुरोध करता हूँ कि जलयान का नाम
.....(यहां नया नाम दर्ज करें) के रूप में बदला जा सकता है। नाम में परिवर्तन करने
के लिए सर्वेक्षण संख्या तारीख का मूल प्रमाणपत्र और रजिस्ट्रीकरण
प्रमाणपत्र की प्रति इसके साथ संलग्न हैं।

हस्ताक्षर:

स्वामी/मास्टर का नाम

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021-आईडब्ल्यूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th June, 2022

G.S.R. 420(E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), vide notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 150 (E) dated the 23rd February, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 23rd February, 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 23rd February, 2022;

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9, sub-section (2) of section 10, sub-section (1) of section 11, sub-section (1) of section 12, sub-section (3) of section 12 and sub-sections (1) and (3) of section 13 read with clauses (g) to (l) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short Title Commencement.- (1) These Rules shall be called the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in Official Gazette

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

(a) “Act” means the Inland Vessels Act, 2021(24 of 2021);

(b) “existing vessel” or “existing inland vessel” means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the definition of new inland vessel;

(c) “new inland vessel” means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming into force of the rules; and

(d) “major conversion or modification” means any of the following-

a) change in Gross Tonnage of the vessel by more than ten per cent;

b) change of vessel type; and

c) change of propulsion system or main engines or type of fuel.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Declaration of Inland Water Area- Zones.- (1) The State Government may categorize inland water areas, based on the maximum significant wave height criteria, as Zone 1, Zone 2 and Zone 3, as follows :-

(i) Zone 1 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 2.0 metres;

(ii) Zone 2 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 1.2 metres; and

(iii) Zone 3 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 0.6 metres.

(2) Vessels shall therefore be designed, constructed and maintained for service in the most onerous zone that it intends to operate in.

4. Certificate of Survey.- (1) The application to be submitted under sub-section (1) of section 9 of the Act for issuance of certificate of survey shall be in Form No. 1 appended to these rules and the relevant details shall be furnished in Form No. 7 appended to these rules.

(2) The certificate of survey shall specify that the inland vessel is fit for a particular Zone of operation.

(3) An inland mechanically propelled vessel shall not proceed on any voyage or be used for any service unless she has a valid certificate of survey for the type of service and for the zone intended for operation.

(4) The Certificate of Survey shall remain valid for a period of 5 years, subject to the conditions specified by the Designated Authority, including the completion of periodical surveys as specified in these rules.

(5) The Designated Authority may allow a mechanically propelled vessel to proceed on a voyage during the interval between the date on which her certificate of survey expires and the earliest possible date of renewal.

5. Certification of compliance with design, construction, modification or alteration to be recorded.- (1) The designated authorities or authorised persons shall ensure that the inland vessels are in compliance with the Inland Vessels (Design and Construction) Rules, 2022.

(2) Designated authorities or authorised persons shall ensure that the inland vessels, which are constructed and employed in the inland waters prior to the enactment of the Act are in compliance with the laws and standards that were prevailing prior to the enactment of the Act:

Provided that Designated authorities or authorised persons shall ensure that the existing vessels which have undergone major conversion or modification shall comply with the Inland vessels (Design and Construction) Rules, 2022 as far as it is considered reasonable and practicable by the Designated Authority.

(3) Subject to sub-rule (1) and (2), the designated authority or authorised persons of respective State Government shall record the certification with regard to compliance of construction, design, modification or alteration, as the case may be; in the certificate of survey issued under the Act and in accordance with these rules.

(4) A vessel may be surveyed by the surveyors of the Designated Authority of the State in which it is plying at the time of survey though it may be registered at other place.

6. **Classification of Inland Vessels.-** For the purpose of these rules, Inland vessels shall be classified as follows: -

(A) The vessels which fall in Category- A are decked vessels of any of the following types-

- (a) vessels, other than house boats, that are more than 24 metres in length and houseboats of more than 30 metres in length;
- (b) vessels that carry more than 50 passengers on board;
- (c) all vessels equipped for towing other vessels, having a bollard pull capacity exceeding 10 tonnes;
- (d) vessels designed and constructed to carry petroleum goods, chemicals or liquefied gases bulk as cargo;
- (e) vessels carrying dangerous goods as defined in the Act; and
- (f) vessels of 300 gross tonnage and above.

(B) Category 'B' vessels are vessels not covered under Category-A or category-C.

(C) Category 'C' vessels are of less than 10 metres in length.

7. **Action on Survey Recommendations.-** (1) When the Designated Authority determines that the condition of the vessel or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or that the vessel is not fit to be put to service without danger to the vessel or the persons on board, it shall be ensured that corrective action is taken.

(2) The Designated Authority may allow the vessel to be put into service, provided that the corrective actions has been carried out under sub-section (1) on the deficiencies identified during the survey undertaken and the corrective actions are to be carried out by the owner or manager within the stipulated time.

8. **Types of survey.-** (1) The structure, machinery, life-saving appliances, radio installations, fire fighting and other equipment shall be subject to the surveys as specified below-

- (a) an initial survey before the vessel is put in service;
- (b) an annual survey within three months before or after each anniversary date of the Inland Vessel Certificate of Survey;
- (c) a minimum of two inspections of the outside of the vessel's bottom carried out during the five year period of validity of the Inland Vessel Safety Certificate;

Provided the interval between any two such inspections shall not exceed thirty-six months;

- (d) a renewal survey at intervals not exceeding five years; and
- (e) an additional survey, which is an inspection, either general or partial according to the circumstances, to be made after a repair resulting from investigations or whenever any important repairs or renewals are made to the vessel.

Explanation.— For the purposes of clause (a), initial survey means declaration made by the surveyor under this Act prior to vessel is put in service.

(2) The Surveys referred in sub-rule (1) shall include the following-

- (a) the structure, machinery and equipment other than those covered in clauses (b), (c) and (d) of this sub-rule;
- (b) the fire safety systems and appliances, life-saving appliances and arrangements, the vessel borne navigational equipment, means of embarkation for pilots, if applicable, and other equipment;
- (c) the Safety equipment plans, nautical publications, lights, shapes, means of making sound signals and distress signals; and
- (d) the radio installations of the vessel.

9. **Initial Survey.-** (1) The initial survey shall include the following-

- (a) complete inspection and tests where necessary, of the items referred in sub-rule (2) to ensure that the arrangements, materials, scantling and workmanship of the structure, boilers, and other pressure vessels, their

appurtenances, main and auxiliary machinery including steering gear and associated control systems, electrical installations and other equipment comply with relevant requirements, and in satisfactory condition and are fit for the service for which the vessel is intended; and

(b) verification of the following items-

- i) freeboard mark and draft marks on the vessel;
- ii) approved tonnage computation of the vessel;
- iii) approved Safety Equipment plan; and
- iv) approved stability particulars and loading manual of the vessel, if applicable.

(2) For existing vessels, the outside of the vessel's bottom shall be inspected within twelve months preceding the issuance of the Certificate of Survey under these rules.

10. Annual Survey.- (1) The annual survey of the vessel shall include a general inspection of the items specified in sub-rule (2) of rule 9 to confirm that they are in satisfactory condition and fit for the service for which the vessel is intended.

(2) During the annual survey Surveyor shall satisfy himself regarding the efficiency of the following:

- (a) hatchways on freeboard and superstructure decks, ventilator and air pipe coamings, exposed casings, skylights, deckhouses and companionways, superstructure bulkheads, side scuttles and deadlights, together with all closing appliances;
- (b) means of ensuring weathertightness of steel hatch covers;
- (c) scuppers and sanitary discharges with valves;
- (d) guard rails and bulwarks;
- (e) freeing ports, gangways and lifelines;
- (f) freeboard marks;
- (g) general examination of machinery and steering gear;
- (h) vent piping;
- (i) fire fighting appliances; and
- (j) life saving appliances.

11. Intermediate Docking Survey between renewal surveys.- (1) Vessels operating in sea ports and other vessels of 20 years of age and over are to be examined in drydock or slipway:

Provided that, consideration may be given to acceptance of in water survey for vessels of less than 20 years of age and operating in sea ports;

Provided further that, consideration may be given to waiver of this requirement for vessels of 20 years of age and over and not operating in seaports subject to satisfactory internal examination.

12. Renewal Survey.- (1) The renewal survey shall consist of an inspection, with tests when necessary, of the structure, machinery and equipment mentioned in sub-rule (2) of rule 9, to ensure that the requirements relevant to the Certificate of Survey are complied with and that they are in a satisfactory condition and are fit for the service for which the vessel is intended.

(2) The renewal survey shall also consist of a check that all the certificates, record books, operating manuals and other instructions and documentation specified in the requirements relevant to the certificate of survey are on board the vessel.

(3) For the purposes of renewal survey, the underwater parts are to be examined in a drydock or slipway as part of renewal survey.

(4) Additionally, the propeller shaft shall be removed and inspected, and the surveyor shall be satisfied that the stern gear, including the propeller shaft, is in good working order and will continue to be in a serviceable condition for five year period covered by the renewal survey.

(5) In the case of other propulsion types, the surveyor shall assess whether maintenance or servicing is required, in any case the advice of the manufacturer shall be followed.

(6) All passenger vessels are to be subjected to a Lightweight survey at renewal surveys to verify any changes in light displacement and longitudinal centre of gravity and the vessel is to be re-inclined whenever, in comparison with the approved stability information, a deviation from the light displacement exceeding 2 percent or a deviation from the longitudinal centre of gravity exceeding 1 per cent. of the length is found.

13. Additional surveys.- (1) Whenever an accident occurs to a vessel or a defect is discovered which affects the safety or integrity of the vessel or the efficiency or completeness of its equipment, the master or owner shall make a report at the earliest opportunity to the Designated Authority.

(2) The Designated Authority shall then initiate an investigation to determine as to whether a survey to the particular certificate is necessary to be conducted on the vessel.

(3) The additional survey, which may be general or partial according to the circumstances, shall be such as to ensure that the repairs and any renewals have been effectively made and that the vessel and its equipment continue to be fit for the service for which the vessel is intended.

14. Maintenance of conditions after survey. – (1) The owner or master of every Inland vessel shall ensure that the condition of the vessel and its equipment is maintained to conform with the provisions of the Certificate of Survey to ensure that the vessel in all respects will remain fit to operate without danger to the vessel, persons on board or the environment.

(2) After any survey of the vessel has been completed, no significant change shall be made in the structural arrangement, machinery, equipment and other items covered by the survey, without the approval of the Designated Authority or a recognised organisation acting on its behalf.

(3) Whenever an accident occurs to the vessel or a defect is discovered, either of which affects the safety of the vessel or the efficiency or completeness of its life-saving appliances or other equipment, a request shall be made immediately to the Designated Authority or recognised organisation acting on its behalf for a survey, to be carried out.

15. Issue or endorsement of certificates.– (1) After an initial or renewal survey, the surveyor shall forthwith issue the applicant, a declaration in Form No. 2 appended to these rules specifying that the vessel complies with the relevant requirements and provisions of these rules and the Act.

(2) A Certificate of Survey in Form No. 5 or Form No. 6 as the case may be shall be issued by the State Government or by the authority recognised by it, if satisfied that all the provisions of the Act have been complied with, in respect of a declaration submitted under sub-rule (1) above and upon receipt of payment of fee, as may be specified by the State Government.

(3) The certificate referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a Record of Equipment and Vessel Information in Annexure to Form No. 2 shall be permanently attached thereto.

(4) Notwithstanding sub-rule (2), the surveyor who conducted the survey and issued the declaration specified in sub-rule (1) above, may grant a provisional certificate of survey in Form No. 4 based on an application on Form No. 3 appended to these rules, which shall be valid for a period not exceeding sixty days or by an endorsement extend the validity of the prevailing certificate of survey, not exceeding sixty days.

(5) Any mechanically propelled inland vessel, which has been issued with a provisional certificate of survey or endorsement, under sub-rule (4), may proceed on voyage or use in service, temporarily, pending the issue of the certificate of survey and subject to the conditions as may be issued by the Designated Authority from time to time by circulars, orders or directives.

16. Duration and validity of certificates. – (1) Certificate of Survey shall be issued for a period which shall not exceed five years subject to endorsements being made for completion of annual survey.

(2) When the renewal survey is completed within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(3) When the renewal survey is completed not more than three months after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of expiry of the existing certificate.

(4) When the renewal survey is completed more than three months before or after the expiry date of the existing certificate, the new certificate shall be valid from the date of completion of the renewal survey to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(5) Where the renewal survey has been completed and new certificate cannot be issued or placed onboard the Inland vessel before the expiry date of the existing certificate, the Designated Authority or a recognised organisation acting on its behalf shall endorse the existing certificate and such certificate shall be accepted as valid for a further period which shall not exceed sixty days from the expiry date.

(6) Where a vessel at the time when a certificate expires is not in a position to be surveyed, the Designated Authority may extend the period of the validity of the certificate considering the circumstances, for a period not longer than 3 months.

(7) In the case of exceptional circumstances due to non-availability of dry-docking facilities, the State Government may consider extension of certificates for a period not exceeding 6 months.

(8) A certificate issued under sub-rule (5) shall cease to be valid in any of the following cases-

- (a) where the relevant surveys and inspections are not completed within the periods specified under these rules; or
- (b) where the certificate is not endorsed in accordance with the requirements of these rules; or
- (c) where the vessel is withdrawn from the Registry.

17. Form of certificates.- The certificates and the record of equipment and information shall be drawn up in the forms corresponding to the forms appended to these rules.

18. Availability of certificates.- The certificates issued under rule 16 shall be readily available on board for examination at all times.

19. Term of certificates of survey.- Any Certificate of Survey issued under the provisions of these rules shall be subject to terms of certificate of survey contained in Chapter IV of the Act.

20. Change of name.- (1) Where a change of name of a vessel is proposed in respect of which a certificate of survey has been granted under the Act, the owner or master of the vessel shall forward the certificate of survey to the authority who issued the certificate along with an application in Form No. 9 appended to these rules with all the particulars referred therein for change of the name of the vessel entered in the certificate of survey.

(2) The designated authority or the authorised officer shall, after due enquiry by himself or through any other officer satisfy that the new name is not allotted to any other vessel and cause such change as is necessary to be effected in the certificate of survey, which shall thereupon be returned to the owner after due process of carving or marking of the changed name on vessel and upon due changes effected by the Registering Authority in Registration Certificate and Book of Registration.

21. Inland vessel State inspection.- (1) Every vessel while in a port (inland port or major or minor coastal ports) within the jurisdiction of another State Government shall be subject to inspection by the designated authorities or officers duly authorised by such Government for the purpose of inspection to verify and ascertain that the certificates issued under these rules are valid and a vessel may also be surveyed by the officers of Inland Waterways Authority of India according to the Rules of Inland Waterways Authority of India when in National Waterways and normally no such inspections by Ports or Inland Waterways Authority of India shall be conducted within six months of the completion date of the last inspection.

(2) Certificates, if found valid, shall be accepted, unless there are clear grounds for believing that the condition of the vessel or of its equipment does not correspond substantially with the particulars of any of the certificates or that the vessel is not fit for service. .

(3) Where a certificate has expired or ceased to be valid, the officer carrying out the inspection under sub-rule (1) shall take steps to ensure that the vessel shall not leave the port unless the officer is satisfied that it may proceed to the next port of call, or leave the port for the purpose of proceeding to an appropriate repair yard, without danger to the vessel or persons on board.

22. Official log book.- (1) The master and engineer or driver of the vessel shall keep an official log book specified in Form No. 8 appended to these rules and shall make, or cause to be made, such entries in that log book as required.

(2) An entry in an official log book shall be made by the master, engineer or driver or officer in- charge of the inland vessel:

- a) as soon as possible after the occurrence to which it relates; and
- b) the date and time of the occurrence and the entry.

(3) An entry in the official log book shall be made by the master or the officer in-charge and counter signed by the Designated Authority carrying out any inspection of the vessel stating the outcome of the inspection and action taken, if any.

(4) Official log book shall be supplied by the Designated Authority on payment of prescribed fee.

(5) Official log book is the property of the Designated Authority and shall be maintained properly.

(6) Official log book shall be produced for verification at the time of annual survey of the vessel.

(7) The officer carrying out the inspection shall make an entry in the official log book.

23. Qualifications for appointment as Surveyor.- A surveyor of inland vessels shall possess any of the following qualifications and experience-

- (a) Marine or Mechanical or Electrical Engineer or Naval Architect in possession of minimum First or Second class Motor/Steam Ministry of Transport (MOT) Certificate issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent certificate recognized by the Government of India and 5 years of experience after first certificate of competency either in sea going regular vessels or Classification Societies or Ship Building yards or reputed International Shipping Companies or State Port Department or State Maritime Board or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department;

(b) Master Mariner (Foreign Going) with 2 years of sailing experience or experience in maritime training or marine survey after having obtained master's certificate issued by Director General of Shipping, Government of India or equivalent international certificate; or

(c) Marine Engineer Operator Class III [Near Coastal Voyage Vessel (NCV) - Chief Engineer Officer] Certificate or Master (Near Coastal Voyage Vessel) certificate issued by the Director General of Shipping with minimum 10 years of sailing experience of which at least 5 years experience in the capacity of Master or Chief Engineer; or

(d) Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 15 years of service onboard inland vessels of which at least 5 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer ;or

(e) a basic degree in Naval Architecture with 7 years experience in sea going regular vessels or Classification Societies or Ship Building yards or reputed International Shipping Corporations or State Port Department or

(f) Diploma in ship building with 15 years experience in sea going regular vessels or Classification Societies or Ship Building yards or reputed International Shipping Corporations or State Port Department.

24. Qualifications for appointment as Chief Surveyor.- A Chief Surveyor of inland vessels shall possess any of the above qualifications as mentioned in Section 23 above, and having a minimum of five years' experience as Surveyor.

Form No. 1

Form of application for conducting survey of Inland Vessel

[see rule 4 (1)]

Date:

Place:

To

The Chief Surveyor/Surveying Authority

At Port

Application for (indicate type) Survey of Inland Vessel

I/We, the authorised persons under the law hereby apply to you to make necessary arrangement for the Initial/Periodical/Dry Docking/ (strike out the not applicable ones) of the Inland Vessel detailed below.

The particulars of the vessel are as under;

1. Name of vessel
2. Official no. of the vessel
3. Port of Registry of vessel
4. Tonnage (i) Registered
5. Type of the vessel
(Passenger/ Passenger-cum-cargo/ Cargo/ Tanker – state type, etc.)
6. Category of the Vessel
7. Year of Build
8. Name and address of Builder
9. Hull Dimensions
10. Place and date of last survey
11. Type and British Horse Power (BHP) of main propulsion Machinery
12. Details of other machineries
13. Owner's name and address with telephone no.
14. Agents name and address with telephone no.
15. Date and time of proposed visit of surveyor
16. Place of proposed Survey

Station

Date

Signature of Owner/Master/Authorised Person

Enclosures:

1. Proof of payment of survey fee and other charges
2. Copy of last Certificate of Survey
3. Copy of Certificate of Registration (if already registered)
4. Document establishing the Authority of Authorised Person (if making request)

Form No. 2**Form of declaration to be issued by the Surveyor**

[see rule 15 (1)]

Declaration of Survey

Ref. No. :

Dated:

This is to certify that I have surveyed the Inland Vessel named _____, Official No. _____, in accordance with the Inland Vessel Act, 2021 and the rules made thereunder.

During the survey, the condition of vessel and its equipment was found, as detailed in the “Record of vessel Equipment and Vessel Information” attached as annexure to this Declaration of Survey

Based on the details contained in the Record of Vessel Equipment and Vessel Information together with the number and qualification of personnel manning the vessel, the vessel is fit for the service stated in the Certificate of Survey, and worthy of the trade or purpose stated therein.

This declaration of Survey is valid upto sixty days from the date of declaration mentioned above.

Surveyor

Enclosure: Record of Equipment and Vessel Information

Annexure to Form No. 2**Record of Equipment and vessel Information**

[see rule 15(3)]

Name of Vessel	Type of Vessel	Category of Vessel	Number of Passengers	Official Number

Hull Material	Name of the Builder	Place of Build	Date of Build	Means of Propulsion	Total British Horse Power of Main Engine	Date of Engine Manufacture

Length	Breadth	Depth	Gross Registered Tonnage	Net Registered Tonnage

Fire fighting item	Number/Type	Condition	Location
Fire Fighting Plan			
Fire Pumps (Mech)			
Fire Pumps (Hand)			
Portable extinguishers			
Fixed extinguishing system			

Fire Buckets			
Sand Boxes			
Hydrants			
Hoses, fittings and nozzles			

Equipment	Number	Type/Condition	Location
Anchors			
Anchor cables/Chains			
Bilge pumps			
Winches			
Cranes			
Derricks			
Towing Equipment			
Ropes and Lines			
Collision mat			
Gangway			
Fenders			
Boat hook			
First Aid Kit			
Binoculars			
Waste Containers			
Heaving line			
Axe			
Torch			

Navigation Equipment	Number	Condition	Location
Navigation Lights			
Sound Signals			
Shapes			
Magnetic Compass			
Class B AIS			
Communication equipment			
Nautical publications			

Location of passengers on specific decks and spaces in maximum loaded condition						
Deck/Space						
Maximum number of Passengers						

Freeboard				
Minimum freeboard,				
Number of Passengers				
Cargo (tonnes)_				

Life-Saving Equipment	Number	Type/Condition	Location
Lifejackets			
Liferafts			

Launching arrangements			
Flotation Devices			
Lifebuoys			
Flares – Parachute			
Flares – Hand-held			
Smoke Signals			
Life raft equipment			
Emergency Communications			

Machinery/Electrical	British Horse Power	Type/Condition	Location
Main Machinery			
Main Generator			
Emergency Generator			
Main Steering Gear			
Auxiliary Steering Gear			
Switchboard			
Shore Connection			
Batteries			
Signal Light Switches			

Accommodation/Safety	Condition	Comment
Escape routes		
Washrooms		
Toilets		
Galley		
Messroom		
Water tanks		
Heating/cooling/ventilation		
Berth/locker		
Access to accommodation		
Lighting		
Machinery guards		
Guard rails		
Non-slip surfaces		
Ladders/companionways		
Noise insulation/protection/notices		
Foam flotation material: Density		

Issued at: **on:**

(Signature of authorised official issuing the certificate)

(Seal of the issuing Authority)

Form No. 3**Application for Provisional certificate of survey**
[see rule 15 (4)]

From

.....
.....
.....

To

Certifying Authority

.....
.....

Sir,

Subject: Application for Provisional certificate of Survey

This has reference to the Declaration of Survey Ref No. xxxxxx dated xx/xx/xxxx for the vessel with Official Number xxxxx.

It is requested that a Provisional Certificate of Survey be issued which is valid till such time a permanent Certificate of Survey is issued.

Yours faithfully,

Signature

Name of the Owner/Master/Authorised person

Form No. 4**Provisional Certificate of Survey**

[see rule 15 (4)]

Category A/Category B/Category C Vessel (to *strikeout* whichever is not applicable)*Expiry on or before the.....day of 20....*

Provisional Certificate of Survey No. _____ Zone of operation _____

Date of Issue _____ Date of Expiry _____

This Provisional Certificate of Survey has been issued subsequent to Survey carried out of the below detailed inland vessel.

Name of the Vessel _____ Official No. _____

Port of Registry _____ Certificate of Registry No. _____

Gross Tonnage _____ Registered Tonnage _____,

Freeboard Assigned _____ mm, Loading marks placed on the vessel's side: Yes/No _____,

Name of the Master _____

Master's COC Grade _____ No. _____ Place of Issue _____

Name of the Engineer or Engine Driver _____

Master's COC Grade _____ No. _____ Place of Issue _____

Name and Address of Owner or Agent _____

Date of Survey carried out _____ Place of survey carried out _____

PLYING LIMITS (as applicable): -

Within inland waters limits of ----- and not extending beyond _____ Nautical Miles from the nearest shore.

CARGO/PASSENGER CAPACITY

Maximum permissible cargo carriage capacity: _____ tonnes and /or _____ Passengers with _____ crew.

Safety equipment carried on the vessel:

No. of boats size and cubic capacity	No. of buoyant apparatus or Life rafts	No. of lifebuoys and lifejackets		Fire extinguishers			No. of anchors with their weight	Length size	
		Lifebuoy	Lifejacket	Foam type	Soda acid	Dry Cargo Powder		Anchor cable	Hose

THIS IS TO CERTIFY that the provisions of the rules with respect to the survey of the above mentioned Inland Vessel and the Transmission of declaration in respect thereof, have been complied with.

This Provisional Certificate of Survey, issued under the provisions of section 13(1) of the Inland Vessels Act, 2021 continues to be in force only until the.....day of 20....

Examined and Registered

Signed by Chief Surveyor

Form No. 5**Certificate of Survey - Category A Vessel**

[see rule 15 (2)]

Certificate of Survey No. _____ **Zone of operation** _____

Date of Issue _____ Date of Expiry _____

This is Certificate of Survey has been issued subsequent to Survey carried out of the below detailed inland vessel.

Name of the Vessel _____ Official No. _____

Port of Registry _____ Certificate of Registry No. _____

Gross Tonnage _____ Registered Tonnage _____

Freeboard Assigned _____ mm, Loading marks placed on the vessel's side: Yes/No _____,

Name of the Master _____

Master's COC Grade _____ No. _____ Place of Issue _____

Name of the Engineer or Engine Driver _____

Master's COC Grade _____ No. _____ Place of Issue _____

Name and Address of Owner or Agent _____

Date of Survey carried out _____ Place of survey carried out _____

PLYING LIMITS (as applicable): -

Within inland waters limits of -----

CARGO/PASSENGER CAPACITY

Maximum permissible cargo carriage capacity: _____ tonnes and /or _____ Passengers with _____ crew.

Safety equipment carried on the vessel:

No. of boats size and cubic	No. of buoyant apparatus or	No. of lifebuoys and lifejackets	Fire extinguishers	No. of anchors with their	Length size

capacity	Life rafts	Lifebuoy	Lifejacket				weight	Anchor cable	Hose
				Foam type	Soda acid	Dry Cargo Powder			

THIS IS TO CERTIFY that the provisions of the rules with respect to the survey of the above mentioned Inland Vessel and the Transmission of declaration in respect thereof, have been complied with.

THIS CERTIFICATE, unless previously cancelled or revoked, to be in force until the ____ day of ____ 20 ____.

Examined and Registered

Signed by Chief Surveyor

Form No. 6

**Certificate of Survey – Category B/ Category C Vessel
[Refer Rule 15 (2)]**

Category of Vessel :

Certificate of Survey No. _____ **Zone of operation:** _____

Date of Issue _____ Date of Expiry _____

This is Certificate of Survey has been issued subsequent to Survey carried out of the below detailed inland vessel.

Name of the Vessel _____ Official No. _____

Port of Registry _____ Certificate of Registry No. _____

Gross Tonnage _____ Registered Tonnage _____,

Freeboard Assigned _____ mm, Loading marks placed on the vessel's side: Yes/No, ____

Name of the Master _____

Master's COC Grade _____ No. _____ Place of Issue _____

Name of the Engineer or Engine Driver _____

Master's COC Grade _____ No. _____ Place of Issue _____

Name and Address of Owner or Agent _____

Date of Survey carried out _____ Place of survey carried out _____

PLYING LIMITS (as applicable): -

Within inland waters limits of _____

CARGO/PASSENGER CAPACITY

Maximum permissible cargo carriage capacity: _____ tonnes and /or _____ Passengers with _____ crew.

Safety equipment carried on the vessel:

No. of boats size and cubic capacity	No. of buoyant apparatus or Life rafts	No. of lifebuoys and lifejackets		Fire extinguishers			No. of anchors with their weight	Length size	
		Lifebuoy	Lifejacket	Foam type	Soda acid	Dry Cargo Powder		Anchor cable	Hose

THIS IS TO CERTIFY that the provisions of the rules with respect to the survey of the above mentioned Inland Vessel and the Transmission of declaration in respect thereof, have been complied with.

THIS CERTIFICATE, unless previously cancelled or revoked, to be in force until the ____ day of ____ 20 ____.

Examined and Registered

Signed by Chief Surveyor

Form No. 7**Particulars to be furnished for Survey of New Vessel or Vessels which are to be surveyed for the first time
[see rule 4(1)]**

1. Name of vessel (if already named)/Yard No. _____
2. Owner's name and address
3. Length, breadth and depth of vessel
4. Type of Vessel.
(Passenger, cargo, cargo-cum-passenger, Chemical Carrier, Liquid Carrier, Tug, Dumb barge, etc)
5. Particulars of hull
 - (a) Year of built
 - (b) Builders name and address
 - (c) Builders certificate
 - (d) Material of the hull
 - (e) Number of Bulk heads, their placement and thickness
 - (f) Hull plating material and thickness
 - (g) Frames (material and thickness)
 - (h) Floors (material and thickness)
6. Particulars of propulsion of Engines
 - (a) Number of sets fitted and Sr. No.
 - (b) Manufacturer's name and brand
 - (c) Model Number
 - (d) Year of built
 - (e) Type of Engine with Horse power of each
 - (f) Stroke _____ Cylinder diameter _____
 - (g) Diameter of propulsion shaft and material
 - (h) Type and Number of gears
 - (i) Test certificate
7. Particulars of equipment
 - (a) Anchor-Port, Starboard (weight and Material of each)
 - (b) Anchor-Spare (weight and material of each equipment)
 - (c) Chain: size type and length and test certificate (Port)
 - (d) Chain: size type and length and test certificate (Starboard)
 - (e) Ropes-size, material and number of ropes
 - (f) Search Lights, number, size and power
 - (g) Life buoys, Buoyant apparatus with Self Ignited lights, Number with buoyant lanyard
 - (h) Navigation Lights giving particulars and certificate, main mast, auxiliary mast, port, Starboard, Stem, Anchor not under command
 - (i) Shapes for anchor not under command etc.
 - (j) Sound signals: Mechanical or Electrical
8. Particulars of fire appliance
 - (a) Number, size and capacity of fire pumps
 - (b) Fire mains, diameter, material and number of hydrants
 - (c) Number of hoses
 - (d) Nozzles
 - (i) Jet type

- (ii) Spray type
- (iii) Jet/Spray type
- (e) Any other equipment

9. Number of portable fire extinguisher with particulars and name of manufactures

- (a) Soda Acid
- (b) Foam
- (c) Dry Powder
- (d) Any other types

10. Particulars of communication equipment

11. Particulars of navigation equipment

12. Particulars of pollution control devices

- a) Sewage treatment and disposal
- b) Solid waste processing and disposal
- c) Sound Pollution Control
- d) Water consumption/day
- e) Source of water

13. No. of deck crew ----- No. of engine crew -----

14. Number of passengers

15. Plans, Drawings, etc.:

Form No.8 OFFICIAL LOG BOOK for AN INLAND MECHANICALLY PROPELLED VESSEL [see rule 22 (1)]														
Name of vessel	Official No.	Port of Registry	Survey certificate valid upto	Place where vessel shall be found generally stationed	Tonnage		Name of Master							
					Gross	Net	Certificate of Competency No. and Date							
							Issued by							
							Signature of Master							
								Name and designation of crew : -						
Date	Sr. No. or Trip No.	Name of the loading or embarking point	Departure of loading or embarking point (If passenger vessel, attached or maintained list of passengers as per Annexure)				Arrival at unloading or disembarking point or Name of Mother vessel			Departure from unloading or disembarking point		Arrival at stationed point		Remarks
			Description	Quantity	Date	Time	Name of place or vessel	Date	Time	Date	Time	Date	Time	

Verification by Designated Authority

Name and Designation of verifying officer _____
 Signature & Date _____

ANNEXURE FOR LOG BOOK (Details of passengers)						
Vessel Name:					Official No.	
Sr. No.	Date	Trip No.	Name and Address	Photo Identification document	Photo Identification document no	Signature

DIRECTIONS AS TO KEEPING OFFICIAL LOGS

1. An official log shall be kept in the prescribed form in every Inland Vessel.
2. The official log may, at the discretion of the master or owner, be kept distinct from or united with the ordinary ship's log so that in all cases the spaces in the official log book be duly filled up.
3. The importance of keeping this book properly, and duly making all the entries at the proper time, and with the strictest regard to form, cannot be too strongly impressed on masters. By neglecting to do so masters render themselves liable to heavy penalties, and their owners to serious loss whilst members of their crew will suffer inconvenience from not being able to obtain records of their services. The absence of proper entries will also prevent fines or forfeitures from being enforced and will tend to prevent the maintenance of discipline.
4. An entry required by the Act in the official log book shall be made as soon as possible after the occurrence to which it relates, and, if not made on the same day as that occurrence, shall be made and dated so as to show the date of the occurrence and of the entry respecting it.
5. Every entry in the official log book shall be signed by the master and by the officer or some other member of the crew and also
6. If it is an entry of injury or death, shall be signed by the medical officer on board, if any, and if it is an entry of wages due to or the property of a crew member who dies, shall be signed by the officer and by some member of the crew besides the master.
7. Every entry made in an official log book in the manner provided by these rules shall be admissible in evidence.
8. Care must be taken whenever there is a change of master to see that documents handed over are up-to-date.
9. Entries must be made in order of date, and no blanks should be left.
10. If any entry in the Official Log relates in any way to a member of the crew the page number is to be entered against the man's name in the Official Log and Index.

Entries required to be made in official log books

- (1) If any offence within the meaning of the Act of desertion or absence without leave or against discipline is committed or if any act of misconduct is committed for which the offender's agreement imposes fine and it is intended to enforce the fine:
 - (a) an entry of the offences or acts shall be made in the official log-book and signed by the master and one of the persons employed or engaged in any capacity on board of the mechanically propelled vessel;
 - (b) the offender shall be furnished with a copy of the entry and have the same read over distinctly and audibly to him and may there upon make such reply there to as he thinks fit;
 - (c) a statement to a copy of the entry having been so furnished and entry having been so read over and the reply, if any made by the offender shall likewise be entered and signed in the manner aforesaid;
 - (d) in any subsequent legal proceedings the entries by this section required shall, if practicable, be produced or proved, and in default of such production or proof, the court hearing the case may in its discretion refuse to receive evidence of the offence or act of misconduct.
- (2) Every case in which the crew has faced shortage of food or drinking water.
- (3) Every case in which a member of the crew is promoted to a higher grade of service with the date of such promotion, the grade and the rate of wages which the crew member is to receive.
- (4) in cases of illness, frequent entries (daily if possible) showing the progress and treatment of patient.
- (5) Every case of drunkenness or misconduct on the part of any member of crew whether the Master wishes the case to be investigated or not.
- (6) Every important accident or damage to ship or cargo.
- (7) Every conviction by a legal tribunal of a member of his crew and the punishment inflicted.
- (8) a report on the quality of work of each member of his crew; or a statement that the master declines to give an opinion thereon with a statement of his reasons for so declining.
- (9) Every case of illness, hurt or injury happening to a member of his crew with the nature thereof and the medical

treatment adopted (if any).

(10) Every case of death happening onboard and the cause thereof, together with such particulars.

(11) Every birth happening on board, with the sex of the infant, the names of the parents and such other particulars.

(12) The name of every crew member who ceases to be a member of the crew otherwise than by death, with the place, time, manner and cause thereof.

(13) The wages due to any crew member who dies during the voyage and the gross amount of all deductions to be made there from.

(14) The money or other property taken over of any crew member who dies during the voyage.

(15) Any other matter which may be necessary for entry in the official logbook.

Form No. 9

Application for Change of Name of the Vessel on Certificate of Survey [see rule 20 (1)]

Ref. No.:

Dated:

From

To,

The Chief Surveyor of Inland Vessels,

.....

Sir,

Sub: Change of name of the vessel on Certificate of Survey No.:
I..... R/O being the owner/master of
Inland Vessel(name) bearing Official No. hereby
request that the name of the vessel may be changed as (here enter the
new name). The certificate of survey No..... dated in original and copy of
Certificate of Registration are enclosed herewith for making the change of name.

Signature

Name of owner/ master

Enclosures: as stated above.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)